

-: ई-टेंडर/निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरदोई क्षेत्र के अधीनस्थ निम्नलिखित बस स्टेशन पर खाली पड़े स्टालों/ठेकों की नीलामी आनलाईन टेंडर द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम, हरदोई में आनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (नीलामी मात्र ई-टेंडर प्रक्रिया द्वारा की जायेगी) जिसका विवरण निम्नवत् है -

डिपो स्तर पर रिक्त पड़े स्टालों/ठेकों का विवरण				
क्र० सं०	डिपो बस स्टेशन का नाम	रिक्त स्टाल का विवरण	स्टाल का आरक्षित मूल्य	निर्धारित स्थान
1.	हरदोई डिपो	जनरल मर्चेंट	5058.00	निर्मित

उल्लिखित जनरल मर्चेंट हरदोई डिपो का आवंटन कैप्टीन नियमावली, 2009 के अन्तर्गत नियमानुसार 03 वर्ष हेतु संचालित करने के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। जनरल मर्चेंट हरदोई अनुबन्ध तिथि से प्रत्येक अगले वर्ष के लिये मासिक किराये में 10 प्रतिशत की वृद्धि स्वयमेव की जाती रहेगी। जनरल मर्चेंट हरदोई हेतु आवंटी द्वारा अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेना होगा, निगम द्वारा विद्युत सुविधा देय नहीं होगी, साथ ही दुकान में किसी प्रकार का पक्का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल के आवंटन हेतु रू० 10,000.00 (रू० दस हजार मात्र) अर्नेस्ट मनी जमा की जायेगी। जिस निविदादाता द्वारा दुकान न्यूनतम आरक्षित धनराशि के सापेक्ष अधिकतम मासिक किराये की राशि का निविदा दी जायेगी उसी के पक्ष में सम्बन्धित दुकान/स्टाल का आवंटन किया जायेगा तथा निविदा-दाता ऑनलाईन प्रक्रिया में उल्लेख की गई निविदा दरों की तीन माह के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट भी धरोहर राशि के रूप में, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक उ०प्र० परिवहन निगम, हरदोई के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बिना उसकी निविदा अमान्य होगी तथा समिति द्वारा उपयुक्त पायी गयी निविदा के सापेक्ष निविदादाता के डिफाल्ट होने पर अनिवार्यतः जब्त कर ली जायेगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य
प्रत्येक निविदा की अर्नेस्ट मनी

रूपया 20+04 (G.S.T.) = 24/- मात्र, प्रति निविदा प्रपत्र।
रूपया 10,000/- (रूपया दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई के पक्ष में देय होगा।

ई-टेंडर/निविदा की अन्तिम तिथि व समय
निविदा खोले जाने का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 04.10.2018 (दिन गुरुवार) तक अपरान्ह 16:00 बजे तक।
दिनांक 05.10.2018 (दिन शुक्रवार) को 12:00 बजे, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम हरदोई क्षेत्र।

दुकान/ठेके के लिये निविदा/टेंडर दिनांक 04.10.2018 की अपरान्ह 16:00 बजे तक वेबसाईट <http://etender.up.nic.in> से अपलोड किये जा सकते हैं व www.upsrtc.com पर भी देखे जा सकते हैं, तथा निविदा शुल्क निगम कोष में जमा कर जमा रसीद एवं अर्नेस्ट मनी का उल्लिखित बैंक ड्राफ्ट एवं प्रतिभूति की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय हरदोई में दिनांक 05.10.2018 को ही समय 12:00 बजे से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, टेंडर खुलने के बाद अलग से दिया गया कोई प्रपत्र स्वीकार नहीं होगा।

- ऑनलाईन प्राप्त निविदा खुलने की तिथि पर समय 12:00 बजे से पूर्व उल्लिखित बैंक ड्राफ्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी०एस०टी० से सम्बन्धित प्रपत्र, चाल-चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर निविदा के साथ एक बन्द लिफाफे में हार्ड कापी में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा मूलप्रति नीलामी दिवस पर साथ लाना अनिवार्य होगा। वांछित अभिलेखों की हार्ड कापी प्राप्त होने के उपरान्त ही आनलाईन निविदा पर विचार किया जायेगा, वांछित ड्राफ्ट एवं अन्य समस्त प्रपत्रों की हार्ड कापी प्राप्त न होने की दशा में प्राप्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- सेवाकर एवं अन्य करों में देयता बनती है, तो निविदादाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, जिसे निगम कोष में मासिक किराये के साथ में जमा किया जायेगा।
- जिन निविदादाता की निविदा अर्ह पाये जाने के उपरान्त स्वीकृत की जायेगी उसको क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम हरदोई क्षेत्र के साथ एग्रीमेण्ट बाण्ड भरना होगा, एग्रीमेण्ट हेतु स्टाम्प पेपर सम्बन्धित निविदादाता को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा।
- किराया अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा, विलम्ब की दशा में मासिक लाईसेन्स फीस के 1/20 वां अंश के बराबर की राशि आर्थिक दण्ड प्रति विलम्ब दिवस की दर से दण्ड की वसूली की जायेगी, विलम्ब दिवस माह की 11 तारीख से आगणित होगा।

5. तीन माह तक लगातार समय पर किराया जमा न करने की दशा में ठेका निरस्त करते हुए प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी या शासकीय देयकों की वसूली आवंटी की सम्पत्ति से भूराजस्व की भाँति की जायेगी।
6. दुकानों से सम्बन्धित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जनपद हरदोई में स्थित रहेगा तथा निविदा के मामले में उत्पन्न किसी विवाद पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
7. अपूर्ण निविदा/प्रपत्र विचार योग्य नहीं होगा।
8. परिवहन निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा, यदि किन्हीं कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा स्टाल के संचालन, का स्थान परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तित स्थान पर ही स्टाल संचालित करना होगा।
9. ऑनलाईन निविदा से प्राप्त सर्वोच्च दर के प्रस्ताव की तीन गुना धनराशि प्रतिभूति के रूप में निविदा के साथ ही बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा न किये जाने पर उनके द्वारा जमा की गई टेण्डरमनी/टोकनमनी जब्त घोषित करते हुए द्वितीय एवं तृतीय सर्वोच्च दर दाता के प्रस्ताव को कमवार पूर्व प्रस्ताव की टेण्डर मनी/टोकन मनी को जब्त करते हुए स्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।
10. यदि दुकान आवंटी अनुबन्ध के पश्चात दुकान संचालित रखने का इच्छुक न हो तो आवश्यक होगा कि वह तीन माह पूर्व लिखित नोटिस देकर दुकान बन्द करें। यदि दुकान ठेकेदार द्वारा अचानक बिना कोई कारण बताये ही दुकान बन्द कर देता है तो प्रतिभूति के मद में निगम कोष में जमा कराई गई धनराशि से कटौती करने अथवा दुकान का अनुबन्ध समाप्त कर प्रतिभूति की धनराशि जब्त करने का अधिकार क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई को होगा।

सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपरोक्त प्रस्तावित कार्यवाही को बिना कारण बताये स्थगित/निरस्त कर सकते हैं। समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व विधिमान्य होगा। इच्छुक निविदादाता बस स्टेशन हरदोई पर स्थित दुकान का भलीभाँति निरीक्षण अवश्य कर लें बाद में किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि में अवकाश की अवधि में यह कार्य अगले कार्य दिवस में सम्पन्न कराया जायेगा।

(एम0के0 त्रिवेदी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक

उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।

पत्रांक:- 8252 ३०३०/३०३०/सामा०/ठेका-नीलामी/2018 दिनांक:- 12/09/2018

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक (वा० एवं वि०) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एम०आई०एस०), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा विज्ञापित को परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. सेवा प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम हरदोई।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०राज्य सड़क परिवहन निगम। (ईमेल द्वारा)
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र।
7. एम०आई०एस० सेक्शन, क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय उ०प्र० परिवहन निगम हरदोई को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त नीलामी विज्ञापित परिवहन निगम के मैसेज बोर्ड एवं ईमेल tender@upsrtc.com पर अपलोड करें।
8. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र को प्रचार-प्रसार हेतु तथा इस निर्देश से कि उक्त निविदा को स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुए चस्पानगी रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
9. स्थानीय सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान समाचार पत्र हरदोई को इस आषय के साथ कि उक्त निविदा को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
10. नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो कार्यालय हरदोई क्षेत्र।
11. कार्यालय प्रति/गार्ड फाईल।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, हरदोई।